न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **स्वत्व वाद सं0 -426/15**
अवर न्यायाधीश तृतीय प्र0 **सीआईएस संख्या -1209/18**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 29.02.2024**

दिनांक 29.02.2024

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी के द्वारा दस्तावेज को प्रदर्श करने हेतु लाया गया है । वादी का कथन है कि प्रस्तुत मामल में एकरारी बयनामा दिनांक 03.10.1989, बयनामा दिनांक 29.11.1989, वोसिका रसीद दिनांक 29.11.1990 की पक्का नकल, खतियान सर्वेहाल का पक्का नकल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । वादी का कथन है कि एकरारी बयनामा तीस साल से अधिक पुराना है तथा अन्य खतियान का नकल बयनामा का नकल वोसिका रसीद का पक्का नकल लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है अतः उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी के द्वारा आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली तथा दस्तावेज का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु जो आवेदन दिया गया है वह बयनामा दस्तावेज है तथा एकरारी बयनामा, वोसिका रसीद, खतियान सर्वेहाल का पक्का नकल है मामले में एकरारी बयनामा 30 साल से अधिक पुराना है अतः उसे तीस साल पुराना होने के कारण तथा अन्य दस्तावेजों को लोक दस्तावेज होने के कारण न्यायाहित आवेदन स्वीकृत किया जाता है और दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित करने की इजाजत दी जाती है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि क्रमवार प्रदर्श अंकित करें। वाद दिनांक ..... अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश प्र0 तृतीय
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)